पत्रांक—डी0डी0—2—विविध—242 / 2025—26 1167 (म) अनु

# बिहार सरकार
## भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

**सुरेश प्रसाद प्रभाकर,**
अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव।

सेवा में,

**मुख्य महाप्रबंधक, बि0रा0भ0नि0लि0**
**सभी मुख्य अभियंता,**
**सभी अधीक्षण अभियंता,**
**सभी कार्यपालक अभियंता,**
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांकः— 03/02/26

**विषयः—** **कार्य संवेदकों / आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के पूर्व जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अद्यतन विवरणी के दाखिला के संबंध में।**

प्रसंगः— राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव, वाणिज्य—कर विभाग, पटना का पत्रांक—301 (अनु0), पटना, दिनांक—22.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि जीएसटी प्रणाली में करदाताओं द्वारा विवरणी दाखिला के साथ ही कर भुगतान की प्रक्रिया संपन्न होती है। कार्य संवेदकों द्वारा ससमय विवरणी दाखिल नहीं किये जाने से राजस्व—संग्रहण प्रभावित होता है। कार्य संवेदकों / आपूर्तिकर्ताओं से शत प्रतिशत विवरणी दाखिल कराना तथा कर भुगतान सुनिश्चित कराना अत्यंत आवश्यक है।

अतः कार्य संवेदकों / आपूर्तिकर्ताओं के विपत्रों के भुगतान के पूर्व जीएसटी के अंतर्गत अद्यतन विवरणियों का दाखिला सुनिश्चित कराया जाय।

**इसे अतिआवश्यक समझा जाय।**

अनु0ः—यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / —
**(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)**
अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांकः— 1167 (म) अनु पटना / दिनांक— 03/02/26

प्रतिलिपिः—आई.टी. मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0ः—यथोक्त।

3.2.26

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
—सह—विशेष सचिव

बिहार सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

पत्रांक– बिक्री–कर / विविध–84 / 2017(खंड)–301 (अनु०) / पटना, दिनांक– 22/01/26

22 JAN 2026

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
बिहार, पटना।

विषय :– कार्य संवेदकों / आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के पूर्व जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अद्यतन विवरणी के दाखिला के संबंध में।

प्रसंग:– मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक– बिक्री–कर / विविध–84 / 2017(खंड–1)–307 पटना, दिनांक–21.01.2025

महोदय,

जीएसटी के अंतर्गत कार्य संवेदकों द्वारा किया गया कर भुगतान राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि सरकार से भुगतान प्राप्त होने के बावजूद कई कार्य संवेदकों द्वारा मासिक जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि जीएसटी प्रणाली में करदाताओं द्वारा विवरणी दाखिला के साथ ही कर भुगतान की प्रक्रिया संपन्न होती है। कार्य संवेदकों द्वारा ससमय विवरणी दाखिल नहीं किये जाने से राजस्व–संग्रहण प्रभावित होता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 की समाप्ति में मात्र दो माह ही शेष हैं। फलतः सरकार के राजस्व संग्रहण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कार्य संवेदकों / आपूर्तिकर्ताओं से शत प्रतिशत विवरणी दाखिल कराना तथा कर भुगतान सुनिश्चित कराना अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में पूर्व में मुख्य सचिव, बिहार की ओर से पत्र भी निर्गत किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

उक्त आलोक में अनुरोध है कि कार्य संवेदकों / आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व जीएसटी के अंतर्गत अद्यतन विवरणियों का दाखिला सुनिश्चित कराने हेतु कृपया अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, बोर्ड, निगम, निकाय, स्थानीय प्राधिकार तथा सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव
बिहार, पटना।

# बिहार सरकार
## वाणिज्य--कर विभाग

पत्रांक-- बिक्री--कर / विविध--84 / 2017(खंड--1)-- 307 / पटना, दिनांक-- 21/01/202

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
बिहार, पटना।

विषय :-- कार्य संवेदकों / आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के पूर्व जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अद्यतन विवरणी की दाखिला कराने के संबंध में।

प्रसंग:-- इस कार्यालय का पत्रांक--बिक्री--कर / विविध--84 / 2017 (खंड) 2492 / पटना, दिनांक 07.12.2021 एवं पत्रांक-- बिक्री--कर / विविध-84 / 2017 (खंड)-- 2171 / पटना, दिनांक 02.08.2022

महोदय,

वाणिज्य--कर विभाग के जीएसटी राजस्व-संग्रहण में कार्य संवेदकों द्वारा किये गये कर भुगतान का महत्वपूर्ण योगदान है। चालू वित्तीय वर्ष में भी ऐसे कार्य संवेदकों से राजस्व संग्रहण में ससमय योगदान अपेक्षित है। विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा कार्य निष्पादित किये जाने एवं भुगतान प्राप्त किये जाने के बावजूद कई कार्य संवेदकों द्वारा मासिक जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं की जा रही है।

ध्यातव्य है कि जीएसटी प्रणाली में करदाताओं द्वारा विवरणी दाखिल करने की स्थिति में ही राज्य को कर प्राप्त होने की व्यवस्था विहित है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा नियमित आधार पर विवरणी दाखिल नहीं किये जाने से राजस्व संग्रहण प्रभावित होता है। वित्तीय वर्ष 2024--25 की समाप्ति में तीन माह ही शेष है। फलतः सरकार के राजस्व संग्रहण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कार्य संवेदकों / आपूर्तिकर्ताओं से शत प्रतिशत विवरणी दाखिल कराना तथा कर भुगतान सुनिश्चित कराना अत्यन्त आवश्यक है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, बोर्ड, निगम, निकाय, स्थानीय प्राधिकार तथा सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय कि उनके द्वारा कार्य संवेदकों / आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व जीएसटी के अंतर्गत अद्यतन विवरणियाँ दाखिल करा लिया जाना सुनिश्चित कर लिया जाय। उल्लेखनीय है कि किसी भी निबंधित व्यवसायी के विवरणी दाखिला की अद्यतन स्थिति gst.gov.in पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन,

21.1.25

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।